



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

एन.एच.एम. भवन लिंग रोड नं. 3, पत्रकार कालोनी भोपाल (462003)

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/13101 भोपाल, दिनांक 23/08/2021

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापित क्र.-जी-20653/20 के तहत मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेम्स लिमिटेड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे एवं संशोधित सूचना पत्र क्रमांक एनएचएम /एचआर/सेल-1/2021/4683 दिनांक 12/3/2021 के द्वारा संशोधित सूचना पत्र जारी कर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में 3 वर्ष का अनुभव एम.एस.ऑफिस के ज्ञान के अनुभव की अनिवार्यता को विलोपित किया गया था। उपरोक्त पत्र समाचार पत्रों में विज्ञापित क्रमांक -जी-21222/20 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

उपरोक्त प्रकाशित जिला सीपीएचसी सलाहकार के विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. जिला सीपीएचसी सलाहकार के संविदा पद पर भारत के नागरिकों से आवेदन मंगाये जाते हैं। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट की पात्रता मात्र म.प्र. राज्य के मूल निवासी को ही होगी।
2. इस हेतु आवेदकों को सेम्स लिमिटेड की वेबसाईट (www.sams.co.in) पर आवेदन पत्र अपलोड करने हेतु दिनांक 25/08/2021 से 25/09/2021 तक का समय दिया जावेगा।
3. उपरोक्त संविदा सेवा 31 मार्च, 2022 तक के लिए होगी, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृति अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो कि म.प्र. राज्य के मूल निवासी (Domicile) है जो कि अनारक्षित वर्ग में आते हैं, उन्हें शैक्षणिक प्रतिशत में किसी भी छूट की पात्रता नहीं होगी।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो म.प्र.राज्य के मूल निवासी (Domicile) नहीं है, उन्हें ना तो आरक्षण, ना तो आयु सीमा में और ना ही शैक्षणिक प्रतिशत में किसी भी छूट की पात्रता होगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के मामले में समान पद पर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक वर्ष का कार्यानुभव वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार के पर हेतु मासिक मानदेय 30,000/- रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 40,000/-रुपये प्रतिमाह मासिक मानदेय स्थापित किया जाता है।
7. नियम-पुस्तिका (2020-2021) की शेष शर्तें यथावत रहेगी।
(मिशन संचालक,एन.एच.एम. द्वारा अनुमोदित)

संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश